

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ.6(179)परि / टैक्स / हैडक्वार्टर्स / 95 / 16बी

जयपुर, दिनांक : 16.6.2001

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) और धारा 4-ख के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त जारी की गयी इस विभाग की (समय समय पर यथा संशोधित) अधिसूचना सं. एफ.6 (179)परि / टैक्स / एच.क्यू/ 95 / 16 दिनांक 31.3.97 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा,, इसके साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ सं. 1 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट अन्य राज्यों के मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88(9) के अधीन जारी किये गये परमिटों पर चल रहे परिवहन यानों के मामले में कर की दर उसके स्तम्भ सं. 2 और स्तम्भ सं. 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर विहित करती है :—

सारणी

परिवहन यान का वर्णन	धारा 4(1)(ग) के अधीन धारा 4 ख के अधीन कर की कर की दर	दर
1	2	3
पर्यटक परमिट पर चलने वाले अन्य राज्यों के परिवहन यान		
(i) ड्राईवर को अपवर्जित करते हुए 5 तक की सीट क्षमता वाले	25/- रु. प्रति सीट प्रतिदिन	50/- रु. प्रतिदिन
(ii) ड्राईवर को अपवर्जित करते हुए 5 से अधिक और 12 तक की सीट क्षमता वाले	25/- रु. प्रति सीट प्रतिदिन	175/- रु. प्रतिदिन
(iii) ड्राईवर और कण्डक्टर को अपवर्जित करते हुए 12 से अधिक और 40 तक की सीट क्षमता वाले	100/- रु. प्रति सीट प्रतिदिन	1000/- रु. प्रतिदिन
(iv) ड्राईवर और कण्डक्टर को अपवर्जित करते हुए 40 से अधिक की सीट क्षमता वाले	120/- रु. प्रति सीट प्रतिदिन	1000/- रु. प्रतिदिन

टिप्पणी:-

1— ऊपर विनिर्दिष्ट दरों पर चार दिन के लिए कर का एकमुश्त संदाय करने पर उस क्लैंडर मास में कोई और कर संदत्त नहीं किया जायेगा भले ही उस मास के दौरान फेरियों की संख्या कुछ भी हो।

2— किसी मोटर यान के स्वामी या उस पर कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा, इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, कोई भी ऐसा कर या शास्ति, जो उक्त अधिनियम के अधीन संदेय थीं, ऐसी दरों पर, जो समय—समय पर ऐसे यानों पर लागू थीं, संदत्त की जायेगी।

**राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव**